कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर

अल्पकालीन निविदा सूचना सं0–02/2016–17

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु मोहर बन्द निविदायें सिंचाई विभाग के वर्गीकृत श्रेणी के पंजींकृत ठेकेदारों से दिनॉक 18.03.2017 की अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन सायं 3:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के कक्ष में मुख्य अभियन्ता(पूर्वी गंगा), सिंचाई विभाग उ0प्र0, मुरादाबाद द्वारा गठित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 14.03.2017 से 17.03.2017 तक (अवकाश छोडकर) सांय 4:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस **में 1– अधिशासी अभियन्ता, अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर 2– अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद 3– सहायक अभियन्ता–प्रथम, अफजलगढ़ सिंचाई उपखण्ड, नगीना एवं 4–पंजाब नेशनल बैंक, धामपुर** के कार्यालयों से प्राप्त किये जायेगें। (1) पंजीकरण प्रमाण पत्र (2.) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र. प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–1) (3) हैसियत प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–2) (4) स्व0 घोषणा शपथ पत्र (आई0डी0टी0–3) की मूल प्रतियॉ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी तथा उनकी सत्यापित छाया प्रति भी ठेकेदार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र जो नोटरी से प्रमाणित हो, जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित किया हो, भी जमा करने के पश्चात निर्धारित शुल्क देकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर के पक्ष में बन्धक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिशासी अभियन्ता, अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर/प्राधिकृत अधिकारी/टेण्डर समिति को होगा। यह निविदा कार्यो के सापेक्ष धनावंटन की प्रत्याशा में निकाली जा रही है। निविदा में उल्लेखित कार्यो का सम्पादन धनांवटन एवं तत्समय कार्य की महत्ता पर निर्भर करेगा। धनांवटन न होने या पर्याप्त धनांवटन न होने की दशा में यदि कार्य सम्पादित नही होते तो इस हेतु ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा। यह भी कि कार्य का अनुमानित मूल्य किसी भी सीमा तक घट बढ़ सकता है।

शर्तें:–

1. प्रत्येक निविदादाता को रू0 100/– के नॉन–जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 1.00 रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरे 90 दिन तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/ ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय वैट आयकर, स्टाम्प ड्यूटी रायल्टी एवं शासनादेश के अनुसार अन्य देय आदि देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार शेष धरोहर धनराशि एवं स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी होगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि (लाख रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य(रू0 में)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	4	5	6	7
1.	जनपद बिजनौर मे नहटौर बैराज पर स्थित निरीक्षण भवन परिसर व भूमि की सुरक्षा हेतु चाहर दीवार निर्माण का कार्य।	2.50	60 दिवस	300 + Vat	''सी'' एवं उच्चतर
2.	जनपद बिजनौर मे नहटौर बैराज पर स्थित निरीक्षण भवन के पुनरोद्वार का कार्य।	1.40	60 दिवस	300 + Vat	''सी'' एवं उच्चतर
3.	जनपद बिजनौर मे पीली बन्ध के टॉप पर कि0मी0 1.100 से कि0मी0 1.500 तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स की लेईग का कार्य।	2.70	60 दिवस	300 + Vat	''बी'' एवं उच्चतर
4.	जनपद बिजनौर मे पीली बन्ध के टॉप पर कि0मी0 1.500 से कि0मी0 2.000 तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स की लेईग का कार्य।	3.30	60 दिवस	300 + Vat	''बी'' एवं उच्चतर
5.	जनपद बिजनौर मे पीली बन्ध के टॉप पर कि0मी0 2.000 से कि0मी0 2.500 तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स की लेईग का कार्य।	3.30	60 दिवस	300 + Vat	''बी'' एवं उच्चतर
6.	जनपद बिजनौर मे पीली बन्ध के टॉप पर कि0मी0 2.500 से कि0मी0 3.000 तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स की लेईग का कार्य।	3.30	60 दिवस	300 + Vat	''बी'' एवं उच्चतर
7.	जनपद बिजनौर मे पीली बन्ध के टॉप पर कि0मी0 3.000 से कि0मी0 3.500 तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स की लेईग का कार्य।	3.30	60 दिवस	300 + Vat	''बी'' एवं उच्चतर
8.	जनपद बिजनौर मे रामगंगा नहर कालोनी धामपुर में स्थित खण्डीय कार्यालय, आवास सं0 ई–1 एवं ई–2 की चाहर दीवार के निर्माण का कार्य।	3.00	60 दिवस	300 + Vat	''बी'' एवं उच्चतर
9.	जनपद बिजनौर में रामगंगा नहर कालोनी धामपुर में खण्डीय कार्यालय के मुख्य द्वार से आवास संख्या सी–17 तक तथा आवास सं0 बी–9 से तहसील मार्ग तक सी0सी0 रोड एवं ड्रेन का निर्माण कार्य।	3.80	60 दिवस	300 + Vat	''बी'' एवं उच्चतर

2. निविदा के कार्यो को करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था द्वारा आई0डी0टी0–3 प्रपत्र पर स्वघोषणा शपथ पत्र रू0 100/– के स्टाम पेपर पर स्वयं के पास पोर्ट फोटो सहित नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर निविदा के साथ दिया जायेगा। स्व0 घोषणा शपथ पत्र निविदा का अनिवार्य अंग होगा, बिना इसके कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
3. निविदा सूचना बेबसाईट http:/upgov.up.nic.in/infotech तथा सिंचाई विभाग की बेबसाईट http://irrigation.up.nic.in/ www.idup.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग के http://irrigation.up.nic.in से भी लोड की जा सकती है। किन्तु इसकी लागत अधिशासी अभियन्ता, अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर के नाम राष्ट्रीय बैंक से निर्गत ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक आफ इण्डिया धामपुर पर देय हो के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ आई0डी0टी0–1, आई0डी0टी0–2, आई0डी0टी0–3, व अन्य प्रपत्र/ अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। बेबसाईट से ड्राईंग उपलब्ध न होने की स्थिति मे वह सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से ड्राईंग आदि प्राप्त कर सकेगें। बेबसाईड से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र ड्राईंग व तकनीकी विशिष्टियों और संबंधित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में ब्रिकी के लिए उपलब्ध निविदा प्रपत्र ड्राइंग व तकनीकी विशिष्टियॉ आदि में यदि कोई भिन्नता होगी तो इस कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ड्राइंग व तकनीकी विशिष्टियों में दर्शाया गया विवरण ही मान्य होगा। निविदा पंजाब नेशनल बैंक धामपुर से भी निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है।

4. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रकिया में भाग नही ले सकेगा।
5. राज्य बार कोसिंल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रकिया में भाग नही ले सकेगें। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है, तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा मे ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को समक्ष अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
6. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली होने की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
7. यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रकिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो, तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता हैं।
8. निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से कय/जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य भेज कर प्राप्त कर सकेगें तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण व सिल्ड निविदा को इसी प्रकार पंजीकृत डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा खण्डीय लेखाकार/कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त कराकर (निविदा प्राप्त होने के प्रमाणक में) प्राप्त करायी जायेगी। जो प्राप्त निविदाओं को तत्काल एक रजिस्टर में पंजीकृत करेगें, जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनांक आदि अंकित करके संबंधित उपखण्डीय/खण्डीय अधिकारी को समय से सूचित करेगें। ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खुलने के पूर्व निविदा बोक्स में डाला जा सके। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदायें, निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक ही प्राप्त की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा में विलम्ब के कारण यदि कोई निविदा विलम्ब से प्राप्त होती है तो वह निविदा मान्य नही होगी। तथा उसका उत्तरदायित्व विभाग का नही होगा।
9. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने के स्थान/ तिथि या समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना निविदा जमा होने के एक दिवस पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।
10. अनुबन्ध के समय ठेकेदार से इस आशय का घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलेट नही किया जायेगा।
11. आयकर वैट एवं लेवरसैस की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
12. समस्त निविदादाताओं को सुझाव दिया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व समस्त विभागीय शर्तो का ज्ञान कर ले एवं कार्य स्थल निरीक्षण भी अवश्य कर ले।
13. निविदा प्रपत्र को भली भॉति पढकर निविदा देने से पूर्व प्रपत्रों में अंकित निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर करने होगें। निर्धारित स्थानो पर हस्ताक्षर न होने पर निविदा अमान्य करते हुए निरस्त कर दी जायेगी।
14. कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई बढायी जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का क्लेम मान्य नही होगा।
15. निविदादाता द्वारा बैंक से निविदा कय करने के लिए नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क रू0 50.00 बैंक में देना होगा।
16. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिए कार्य की अनुमानित लागत से अत्यन्त कम दरे दी जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरे दी जा रही है और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता से कम दरे देने का विस्तृत विवरण मांगे। यदि आशंका की पुष्टि हो जाती है कि निविदादाता द्वारा साभिप्राय ऐसा किया जा रहा है तो गुणदोष (Merit) के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त की जा सकती है।
17. उपरोक्त कार्य की निविदायें धन आवंटन की प्रत्याशा में आमंत्रित की जा रही है। धन आवंटन कम प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की दशा में निविदायें निरस्त की जा सकती है, एवं धन प्राप्त होने पर उपलब्ध धन से तत्समय कार्य की महत्ता के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में किसी निविदादाता का कोई दावा मान्य नही होगा।
18. निविदा दाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0–2, दिनांक 8.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक बिलों दरे (Below Rates) प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों दरे (Below Rates) पर 1.00 प्रतिशत की 1 प्रतिशत कम दर पर परफोरमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
19. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित) उपरोक्त तालिका के कॉलम–5 में दर्शायी गयी है।
20. निविदा की वैद्यता इसके प्राप्ति के दिन से तीन माह के लिए होगी। वैद्यता की अवधि में निविदा को वापस नही लिया जा सकेगा।
21. कोई निविदादाता कार्यदायी खण्ड/वृत में जहॉ उनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट संबंधी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) खण्डीय लेखाकार/अवर अभियन्ता के रूप में कार्यरत हो डालने के लिए योग्य नही होगें। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जोकि कार्यदायी खण्ड एवं उससे संबंधित वृत में कार्यरत हो।
22. कोई भी राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जोकि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभागमें कार्यरत हो सेवानिवृत्ति अवधि के दो वर्ष बाद तक बिना सरकार की अनुमति के ठेकेदार के काम के लिए प्रतिबन्धित होगें। यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नही ली है तथा ठेकेदार के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है तो ठेकेदारी निरस्त किया जा सकता है।
23. उन्ही ठेकेदारों को निविदा प्रपत्र दिया जायेगा, जो उसी प्रकृति एवं लागत के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेगें एवं वार्षिक टर्न ओवर पिछले 3 सालो मे किसी 2 वर्ष मे कार्य के इंगित लागत के दोगुने से अधिक हो
24. ज्वाइंट बेन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नही की जायेगी।
25. एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा व सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नही होगी।

26. चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र. स्वघोषणा प्रमाण पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा संबंधित ठेकेदार का नाम तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
27. सिंचाई विभाग में वांछित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा देने के पात्र. होगें। प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने आई0डी0टी0–1, आई0डी0टी0–2, आई0डी0टी0–3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक–ठीक उपलब्ध करायी है अथवा नही। इसमें किसी प्रकार की कमी या संतोषजनक न होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरे तुलनात्मक विवरण में अंकित नही की जायेगी।
28. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का पंजीकरण श्रम विभाग के कार्यालय में ठेकेदार द्वारा कराना अनिवार्य होगा, न कराने की स्थिति में कार्य का भुगतान नही किया जायेगा।
29. कार्य सम्पादित करने के दौरान कार्य करने वाले श्रमिकों की सूची पूर्ण विवरण सहित अद्यतन रखना होगा तथा इनका पंजीकरण संबंधित सहायक अभियन्ता या जूनियर इंजीनियर या श्रम विभाग से कराने हेतु कार्य दिवसों का प्रमाण पत्र श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा।

अधिशासी अभियन्ता
अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर